**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या ६/विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।**

विशेष परीक्षण संख्या–९१/२००४

राज्य प्रति हफीज आदि

मुकदमा अपराध संख्या–२९६ सन २००३
धारा २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम १९८६
थानाः कोतवाली, जिला फतेहपुर।

**०२.११.२०२०**

पत्रावली पेश हुयी।

अभियुक्त मैकू की मृत्यु आख्या थाने से तलब होकर प्राप्त हुयी, जिसके अनुसार अभियुक्त मैकू पुत्र रमजानी निवासी ग्राम सलेमपुर थाना थरियांव, जिला फतेहपुर की मृत्यु दिनांक १६.०८.२०२० को हो चुकी है। थाने की आख्या के साथ ग्राम प्रधान की तहरीर को संलग्न किया गया है।

इस सम्बन्ध में तामीलकुलिन्दा हेड कान० कृष्णदेव सी०डब्लू० १ के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि अभियुक्त मैकू पुत्र रमजानी की मृत्यु दिनांक १६.०८.२०२० हो चुकी है। फौती आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया। साक्षी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु रिपोर्ट को साबित किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त मैकू की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त मैकू की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध प्रस्तुत वाद मुकदमा अपराध संख्या–२९६/२००३ अन्तर्गत धारा–२/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम १९८६ थाना–कोतवाली, जनपद फतेहपुर उपशमित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक २०.११.२०२० को पेश हो। अभियुक्त राम स्वरूप की फौती आख्या तलब हो।

दिनांकः ०२.११.२०२०

**(रविकरण सिंह )**
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या –६/
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,
फतेहपुर।